राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 64/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 6 फ्लोर, प्लाट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–14, गुरूग्राम एवं शाखा कार्यालय अजमेर।	**बनाम**	1. लाड़ देवी पत्नि कन्हैया लाल निवासी मकान नंबर 72, वार्ड नंबर 01, गुलाब बाबा की धूंणी, गुलाबपुरा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा। 2. बलवीर पुत्र कन्हैया लाल निवासी मकान नंबर 72, वार्ड नंबर 01, गुलाब बाबा की धूंणी, गुलाबपुरा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा। 3. कन्हैया लाल पुत्र कल्याण दास निवासी मकान नंबर 72, वार्ड नंबर 01, गुलाब बाबा की धूंणी, गुलाबपुरा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा वगैरह।
–– प्रार्थी		––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री यादवेन्द्र सिंह।

निर्णय

दिनांक : 29.05.2023

प्राधिकृत अधिकारी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 6 फ्लोर, प्लाट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–14, गुरूग्राम एवं शाखा कार्यालय अजमेर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 5,05,000/– रूपये का ऋण दिनांक 26.11.2015 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – **श्री कन्हैया लाल पुत्र कल्याण दास की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो प्लॉट नं. 73, गुलाब बाबा की धूंणी, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा पर स्थित है जिसकी माप लगभग 177.77 वर्ग गज है, जिसकी सीमाएं पूर्व–गली व प्लॉट नं. 72, पश्चिम–अन्य आराजी, उत्तर–आम रास्ता, दक्षिण–प्लॉट नं. 85** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 23.09.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,13,100.82/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।